05/2017
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2017 अनवानी श्री गिरधारी स्वामी पत्रकार सीमा संदेश स्वामी न्यूज एजेंसी वार्ड न. 2, अनूपगढ बनाम प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11-02-2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री गिरधारी स्वामी उपस्थित है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र शामिल किया गया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री राजकुमार लिपिक उपस्थित है। अपीलार्थी की बहॅस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन विभाग से चाही गई सूचना के बिन्दु सं0 1 सें 4 के संबंध में दी गई सूचना में ARD Order 18.09.2014.pdf पर प्रति उपलब्ध नही है एवं बिन्दू सं0 5 के जबाब में राज0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड परिवेदनाओ के निस्तारण में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही हेतू जिला कलक्टर महोदय को आवेदन करना सूचित किया गया है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा की गई कार्यवाही से आवेदक के संतुष्ट न होने पर किस प्रकिया के तहत किस प्रपत्र में किसे आवेदन करने पर कितने समय में कार्यवाही संभव है आवश्यक प्रपत्रो की प्रमाणित प्रति सहित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का बिन्दुवार उत्तर पत्र सं0 1512 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा दिया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गिरधारी स्वामी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन से निम्न सूचनांए चाही थीः-

1. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड परिवेदनाओं को निस्तारण के लिए राज्य सरकार के किस आदेश के तहत कितनी समय सीमा निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति।
2. राज्य सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित अवधि समय सीमा में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड परिवेदना का निस्तारण नही करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है निर्धारित प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति।
3. किस प्रपत्र में किस अधिकारी को आवेदन करने पर कितने समय में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही संभव है कि सूचना व निर्धारित प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवेदना रजिस्टर्ड करवाने पर मोबाईल पर 15 दिन में स्टेटस चैक करने का मैसेज प्राप्त होता है। 15 दिवस की अवधि में सम्पर्क पोर्टल पर स्टेटस अपलोड नही होने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति।
5. मेरे द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर जल संसाधन विभाग से सम्बधित रजिस्टर्ड करवायी गयी इस परिवेदना पर दो माह से भी अधिक समय तक स्टेटस अपलोड नही हुआ इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही करवाने बाबत किस अधिकारी को किस प्रपत्र में आवेदन किया जाना है कि सूचना व निर्धारित प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपना जबाब सं0 1577 दिनांक 24.01.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1512 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी।

प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1512 दिनांक 18.10.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः-

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या	वांछित सूचना	प्रति उत्तर
1.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड परिवेदनाओं को निस्तारण के लिए राज्य सरकार के किस आदेश के तहत कितनी समय सीमा निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति।	आप द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान सरकार के पोर्टल पर यू.आर.एल http://www.ard.rajasthan.gov.in/pdf/ARD_order_18092014pdf से प्राप्त कर सकते है।
2.	राज्य सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित अवधि समय सीमा में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड परिवेदना का निस्तारण नही करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रकिया निर्धारित की गयी है निर्धारित प्रकिया की प्रमाणित प्रति।	
3.	किस प्रपत्र में किस अधिकारी को आवेदन करने पर कितने समय में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही संभव है कि सूचना व निर्धारित प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।	
4.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवेदना रजिस्टर्ड करवाने पर मोबाईल पर 15 दिन में स्टेटस चैक करने का मैसेज प्राप्त होता है। 15 दिवस की अवधि में सम्पर्क पोर्टल पर स्टेटस अपलोड नही होने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की क्या प्रकिया निर्धारित की गयी है। प्रकिया की प्रमाणित प्रति।	
5.	मेरे द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर जल संसाधन विभाग से सम्बधित रजिस्टर्ड करवायी गयी इस परिवेदना पर दो माह से भी अधिक समय तक स्टेटस अपलोड नही हुआ इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही करवाने बाबत किस अधिकारी को किस प्रपत्र में आवेदन किया जाना है कि सूचना व निर्धारित प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।	किसी भी दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध जिला कलक्टर महोदय को आवेदन किया जा सकता है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 5 का उत्तर दिनांक 18.10.2016 को उक्तानुसार दिया जा चुका है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना राजस्थान सरकार के पोर्टल पर यू.आर.एल http://www.ard.rajasthan.gov.in/pdf/ARD_order_18092014 pdf से प्राप्त कर सकते है व बिन्दु सं0 5 के बारे में आवेदन कर सकता है। किन्तु अपीलार्थी ने अब यह प्रार्थना की है कि उसे 18.09.2014 की प्रति पोर्टल से उपलब्ध नही हो रही है जिसकी उसे प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वह कार्यालय से उक्त आदेश 18.09.2014 की नियमानुसार प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर